Part-II (H) Pol. Science Dr. S. B. Kumar
Paper-III

Q. 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख करें।

Ans:- किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ सांविधानिक आदर्शों, संरचनाओं और विभिन्न संस्थाओं की प्रकृति और विशेषताएँ ही सम्मिलित नहीं की जाती हैं, बल्कि अनेक अनौपचारिक संस्थाओं की प्रकृति एवं विशेषताओं को भी सम्मिलित करना पड़ता है। ऐसी अनौपचारिक संस्थाओं में - राजनीतिक दल, निर्वाचन, मतदान-व्यवहार, दबाव एवं हित समूह, जाति, संप्रदाय, धर्म जैसी संस्थाएँ और क्षेत्रवाद इत्यादि के नाम आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और विशेषताओं की जानकारी के लिए इन सभी पर विचार करना समीचीन प्रतीत होता है।

1.) भारतीय संविधान : वकीलों का स्वर्ग (A Lawyer's Paradise): भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों से विशाल तथा विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद, 24 भाग हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं जो इसे विशाल बना देता है। चूँकि संविधान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रशासन, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संक्रमण काल के लिए व्यवस्था, महत्वपूर्ण आयोगों का विवरण तथा कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए नियुक्तियों आदि का विस्तृत प्रावधान है, इसलिए हमारा संविधान विशालता लिए हुए है। हमारे संविधान में अनेक बातें सूक्ष्म और प्रशासन से संबद्ध हैं जिन्हें संविधान निर्माता इन सारी बातों का उल्लेख संविधान में कर देना ही उचित समझा। सूक्ष्म बातों के समावेश से भारतीय संविधान विशाल हो गया तथा इसके कारण विभिन्न अनुच्छेदों की सांविधानिक व्याख्या में उलझनें पैदा हो जाती हैं। इस कारण कुछ लोगों ने इसे (वकीलों का स्वर्ग) कहा है।

यह सत्य है कि हमारा संविधान जटिल है और इसकी जटिलता का मुख्य कारण संविधान निर्माताओं को कठिन समस्याओं का सामना करना रहा। संविधान के प्रत्येक उपबंध के साथ इतने अपवाद, अर्हताएँ तथा व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं कि साधारण लोगों को इसे समझने में दिक्कत होना स्वाभाविक है। परंतु ऐसी धारणा बना लेना कि संविधान वकीलों का स्वर्ग है - भ्रममूलक है। जहाँ भी लिखित संविधान होता है क्या वहाँ मुकदमेबाजी नहीं होती है? संविधान के संचालन के

Scanned with CamScanner

70 वर्षों का अनुभव यह बताता है कि अपेक्षाकृत कम विवाद हुए हैं। जो विवाद हुए हैं तो ज्यादातर मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रपति शासन को लेकर हुए हैं। परंतु इस तरह के मुकदमें अन्य देशों में भी होते हैं। व्यक्ति और राज्य के बीच सदा से संघर्ष होता रहा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि संदिग्ध भाषा के कारण ही संविधान के कुछ भाग मुकदमेबाजी के शिकार हो गए। सत्य तो यह है कि इस तरह के विवाद लोकतंत्रीय जागरूकता के द्योतक हैं। अतः भारतीय संविधान को 'वकीलों का स्वर्ग' कहना उचित नहीं लगता।

2.) भारतीय संविधान : संसदीय है अध्यक्षात्मक नहीं → के॰ सी व्हीयर जैसे विद्वान भारतीय संविधान को अर्द्ध-संघीय (Quasi-Federal) संविधान की संज्ञा देते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा संविधान आधा संघीय है और आधा संसदीय है। लेकिन आजकल बड़े पैमाने पर यह चर्चा का विषय है कि भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए जो इस बात का संकेत है कि हमारा संविधान संसदीय है।

भारतीय संविधान द्वारा जिस शासन तंत्र की स्थापना की गई है, वह संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक (Parliamentary or Cabinet form of govt.) है। ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय पद्धति अपनाई है। एक लंबे समय तक ब्रिटेन से संबद्ध होने के कारण भारत में संसदीय तथा उत्तरदायी शासन-पद्धति का बीजारोपण हो चुका था। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश पद्धति का ~~अनुसरण~~ अनुकरण करना उचित समझा जिसके अंतर्गत भारत में भी संसदीय शासन तंत्र का श्रीगणेश हुआ। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल (Legislature) के सदस्य होते हैं तथा विधानमंडल के प्रथम सदन (लोक सभा/विधान सभा) के प्रति उत्तरदायी भी। इस प्रकार शासन पद्धति में विधानमंडल/संसद की सर्वोपरिता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि राज्य का प्रधान (राष्ट्रपति) नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री

Scanned with CamScanner

होता है। इस प्रकार संसदीय शासन तंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होती है। हमारी शासन व्यवस्था इसी पद्धति पर आधारित है। अतः यह अध्यक्षीय न होकर संसदीय है।

3.) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएँ :-

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

1.) विचारधारा — संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है।

2.) सांविधानिक ढांचा -

(a) सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार

(b) संसदीय प्रजातंत्र

(c) कठोर और लचीलापन का अपूर्व मिश्रण

3.) औपचारिक राजनीतिक संस्थाएँ - कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका

4.) अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाएँ - राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान व्यवहार, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गतिशीलता लिए हुए है। अपने आधारभूत प्रकृति से इतर जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु जरूरत के अनुसार सांविधानिक संशोधन की व्यवस्था भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था को गतिमान बनाती है। एक विस्तृत प्रलेख के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्टता रखने का प्रयास किया गया है।

—x—

Scanned with CamScanner